न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 51/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/767

श्री चतरभूज पिता भाना कूम्हार निवारी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............वादी

वनाम्

श्री भंवरलाल पिता भाना के वजाय

1/1 श्री नवलचंद पिता भंवरलाल कूम्हार निवारी भीण्डर तहरीाल भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/2 श्री जगदीश पिता भंवरलाल निवारी भीण्डर तहरील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/3 श्रीमती मांगी बाई पूत्री भंवरलाल पत्नि बायूलाल कूम्हार निवारी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

1/4 श्रीमती नारायणी बाई बेवा भंवरलाल कूम्हार निवारी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2. श्री हरिराम पिता भाना कुम्हार निवारी भीण्डर तहसील भीण्डर हाल निवारी मकान न. 1959 न्यू रामपुरा सिरारमा रोड उदयपुर जिला उदयपुर राज.।

3. श्रीमती नारायणी बाई पुत्री भाना पत्नि मांगीलाल कुम्हार निवारी टूरा डांगीयान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

4. श्री प्रतापी बाई पुत्री भाना पत्नि कूम्हार निवारी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

5. श्रीमती नक्षत्री बाई पुत्री भाना पत्नि धनराज कूम्हार निवारी आम्यावेरी (डबोक) तहरील मावली जिला उदयपुर राज.।

6. श्री राजरथान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7. श्री विजासर माता सेवा समिति भीण्डर जरिये अध्यक्ष गोकल व्यास पिता कालू खटीक निवारी भीण्डर।

............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 [illegible] संहिता

— : : निर्णय : : — दिनांक : 25.0[illegible]

1. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा माननीय

न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी ... तहत पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब ... काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के ... किया गया। यह कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 2 नुमायशी ... प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिये गये जि... प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को होने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1... माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश उदयपुर के समक्ष उक्त विक्रय पत्रों ... करवाये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् वाद प्रस्तुत किया गया उक्त वाद में ... न्यायालय जिला न्यायाधीश के समक्ष भी यही प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या नारा... द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अकेले प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल को वसीय... गया था ? इस पर माननीय न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचना कर निर्णय पारि... गया कि "इस वाद में उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण यह साबित करने में सफ... कि नारायण की वसीयत के आधार पर भंवरलाल के अतिरिक्त किसी अन्य को ... की गई संपति के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा वसीयत के ... विवेचन के आधार पर किये गये राजस्व इन्द्राज से भी भंवरलाल के वह उसके ... प्रतिनिधियों के साम्पतिक अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडते हैं। वि... संख्या 1, 2 वादीगण के पक्ष में निर्धारित किये जाते हैं।"

2. अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया की माननीय न्यायालय जि... न्यायाधीश उदयपुर द्वारा अपने निर्णय में दिनांक 05.01.2024 में स्पष्ट विनिर्धारित कि... है कि वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय श्री नारायण जी द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी संख... 1 को ही वसीयत की गई थी एवं वादग्रस्त आराजीयात में भाना पिता रामा एव गणे... पत्नी भाना का कोई भी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है जिससे गणेशी पत... भाना को जो विरासत का नामान्तरण संख्या 5746 दिनांक 27.09.2013 का खोला गया ... स्वयंमेव ही निष्प्रभावी हो जाता है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवाद... संख्या 2 से 5, 7 का कोई भी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। यह कि वि... का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वसीयत के बारे में कोई भी निर्णय दि... जाने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ... प्रकरण में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत बाबत अपना निर्णय दिया जा चुका है जिससे वादी का वाद निरस्त किये जाने और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा भी प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से हमने पाया कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मौजा भीण्डर में स्थित कृषि आराजी संख्या 4831–4832 किता 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 उनके नाना श्री नारायण जी कुम्हार से प्राप्त हुई है जो राजस्व रेकर्ड में भंवरलाल पिता भाना, भाना पिता रामा एवं गणेशी बाई पत्नी भाना के नाम दर्ज है। टिप्पणी में गणेशीबाई की विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है जिसमें वादी का उक्त आराजी में 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 5/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा है। भूमि मौके पर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त में होकर विभाजन नहीं हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने उनका हिस्सा समान रूप से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा कराने एवं हक, हिस्से की घोषणा बाबत कहा किन्तु इन्कार कर दिया जिससे घोषणा, विभाजन एवं निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत कर यह सहायता चाही कि उक्त आराजी में वादी का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 5/9 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नाम हटाया जावें, हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराया जावें एवं निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा निर्माण नहीं करे एवं भूमि को हस्तान्तरित नहीं करे। वादी के उक्त वाद को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार किया गया एवं काउन्टर क्लेम घोषणा तथा निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 4831–4832 किता 1 रकबा 1 बिघा 4 बिस्वा भूमि के खातेदार नारायण जी वल्द नवला जी कुम्हार थे जो रिश्ते में प्रतिवादी संख्या 1 के नाना जी लगते थे। नारायण जी के कोई पुत्र सन्तान नहीं होने से उन्होंने दिनांक 17.11.1953 को अन्य सम्पत्तियों के साथ–साथ वादगग्रस्त आराजी को भी रजिस्टर्ड वसीयतनामा से प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत कर वसीयतनामा दिनांक 27.01.1954 को रजिस्टर्ड करवा दिया जिससे वादग्रस्त आराजी का एक मात्र स्वामि एवं अधिपत्धारी प्रतिवादी संख्या 1 ही है। वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेखों में भाना एव गणेशीबाई के नाम गलत अंकित हो गयी व बाद में गणेशीबाई की मृत्यु के बाद भी विरासत से गलत अंकन हो गया [illegible] तरणों से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को कोई राईट प्राप्त नहीं [illegible] ता [illegible] वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का [illegible] के लिये [illegible] कब्जा नहीं रहा है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने काउन्टर क्लेम [illegible] किया कि उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर निषेधाज्ञा पारित कराई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रतिवादी संख्या 1 के काउन्टर क्लेम को वादी की ओर से अस्वीकार कर... प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जो रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 2... नारायण जी द्वारा की गई है, वह प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं की गई... प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भाना एवं गणेशीबाई के साथ-साथ घर का... होने से तथा घर का कर्ता खानदान होने से भंवरलाल का नाम अंकित कर... इसी कारण से सन् 1985 में नामान्तरण संख्या 2480 के द्वारा गणेशीबाई... भंवरलाल के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई है, जबकि मौके पर सभी का... भंवरलाल की आयु उस समय महज 7 वर्ष थी। इस कारण वसीयत भंवरलाल... की गयी है तथा नामान्तरकरण में भंवरलाल का नाम 1/3 हिस्से से अंकन हो... रण उसके हिस्से में रखते हुए शेष 2/3 हिस्सा जो गणेशीबाई एवं भाना... दर्ज हैं, उसमें गणेशीबाई का विरासत का नामान्तरकरण वादी एवं प्रतिवादी स... से 5 के नाम खुला है तथा भाना जी का विरासत का नामान्तरण होना शेष है... काउन्टर क्लेम को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. वाद, जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर न्यायालय द्वारा 5 तनकीयात... की गई। तत्पश्चात प्रकरण को वादी की साक्ष्य में नियत किया गया। इसी... प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का निधन हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/... वारिसान कायम किया गया। दौराने वाद ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा... वर्णित आराजी में से दिनांक 03.01.2020 एवं दिनांक 06.01.2020 को 1/18 हिस्... 1/18 हिस्सा बिजासर माता को विक्रय कर दिये जाने से बिजासर माता को प्रति... संख्या 7 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.06.2024... प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी मूल रूप से नारायण जी कुम... के खातेदारी एवं कब्जे की थी, जिसे उनहोंने रजिस्टर्ड वसीयत से केवल मात्र प्रतिवा... संख्या 1 भंवरलाल को ही वसीयत की थी, जिससे ही वसीयत के आधार प्रतिवा... संख्या 1 ने उसके पक्ष में घोषणा किये जाने हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया है। व... एवं प्रतिवादी संख्या 2 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक, अधिकार एवं अधिपत्य न... होते हुए भी उन्होंने ... प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय क... दिया। जिसका ज्ञान होने पर प्रति... 1 के वारिसान द्वारा इन दोनों विक्र... पत्रों को निरस्त किये ... माननीय ... यालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर के सम... वाद प्रस्तुत किया, ... कि क्या वादग्रस्त आराजी को अक... भंवरलाल के पक्ष में वसीयत किया गया ... । इस हेतु वहां दो तनकीयात क्रम संख्या... 2 निम्नानुसार बनाई गईः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Banediya
Date: 2025.02.06 16:28:12 IST
Reason: SelfAttested

I. क्या श्री नारायण द्वारा वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित सम्पत्तियों की वसीयत केवल मात्र स्वर्गीय भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित की गई थी तथा उस वसीयत से श्रीमती गणेशीबाई एवं उसके पति श्री भाना जी को कोई भी साम्पत्तिक अधिकार अर्जित नहीं होते है ?

II. क्या विवादित वसीयत से श्री भाना एवं श्रीमती गणेशीबाई को कोई हक, अधिकार अर्जित नहीं होते है इस कारण वसीयत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में उनके नाम दर्ज किया गया म्यूटेशन एवं प्रभावहीन हैं ?

इन दोनो तनकीयात पर विस्तार से विवेचना करते हुए माननीय जिला न्यायाधीश ने तनकी संख्या 1 एवं 2 पर निम्नांकित निर्णय पारित किया :-

"इस वाद में उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण यह साबित करने में सफल रहे है कि नारायण की वसीयत के आधार पर भंवरलाल के अतिरिक्त किसी अन्य को वसीयत की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा वसीयत के दोष पूर्ण विवेचन के आधार पर किये गये राजस्व इन्द्राज से भी भंवरलाल के व उसके विधिक प्रतिनिधियों के साम्पतिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 का उपरोक्तानुसार वादीगण के पक्ष में निर्धारित किये जाते है।"

इस कारण माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर के निर्णय दिनांक 5.1.2024 में स्पष्ट रूप से यह विनिर्धारित कर दिया गया है कि वादग्रस्त आराजी श्री नारायण जी द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को ही वसीयत की गई थी एवं वादग्रस्त आराजी में भाना एवं उसकी पत्नी श्रीमती गणेशीबाई का कोई अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होने से उनके नाम खोले गये नामान्तकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाते है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को अवैध, शुन्य एवं अप्रवर्तनिय घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। किसी भी वसीयत के बारे में कोई निर्णय दिये जाने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। इस प्रकरण में भी सिविल न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, सिविल न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिक्री इस न्यायालय पर वसीयत के संबंध में बाध्यकारी है।

7. दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया गया कि इस मामले में तनकी संख्या 1 एवं तनकी संख्या 4 एक दूसरे की पूरक तनकीया है, जिससे तनकी संख्या 4 के आधार पर आदेश 15 नियम 3 जा.दी. के अनुसार इसी स्तर पर प्रतिवादी के पक्ष में काउन्टर क्लेम [illegible] किया जाना आवश्यक है। तनकी संख्या 4 निम्नानुसार हैः-

I. आया प्रतिवादी संख्या 1 काउन्टर क्लेम के आधार पर वादग्रस्त आराजी का खातेदारी का हक घोषित कराने का अधिकारी है ? .... प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested

8. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने काउन्टर वाद पत्र ...
न्यायिक दृष्टान्त जितेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य (2021) ...
29 (SC) पेश किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रति...
गया है कि किसी भी वसीयत के बारे में कोई भी राय अथवा विनिश्चय...
अधिकार एक मात्र सिविल न्यायालय को है एवं वसीयत के मामलों में सि...
के निर्णय के पश्चात ही निर्णयानुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जा...

9. अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस कहा कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त अनु... माननीय जिला न्यायाधीश उदयपुर के वहां विक्रय पत्रों की निरस्ती बाबत वा... नहीं भी किया जाता तो भी इस वाद में वसीयत के बारे में कोई भी राय दिए ... राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 239 के अनुसार भी इस तनकी को तय ... लिये इस न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय को ही प्रकरण भिजवाना पड़ता किन्तु ... एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त सम्पत्ति का हिस्सा विक्रय कर... जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों की ओर से माननीय न्यायालय जिला न्याया... उदयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया, जहां विक्रय पत्रों की निरस्ती के पूर्व ... प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वसीयत किस व्यक्ति के पक्ष में की गई है चूंकि मान... न्यायालय जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारि... कर दिया है कि नारायण द्वारा जो वसीयत की गई है वह केवल मात्र प्रतिवादी संख... 1 भंवरलाल के पक्ष में ही की गई है। इस कारण इस प्रकरण में अब किसी भी प्रक... की साक्ष्य लिये जाने अथवा अग्रिम कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं ... प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि माननीय न्याया... जिला न्यायाधीश उदयपुर का निर्णय दिनांक 05.01.2024 दोनों पक्षों को सुनकर दि... गया है। उक्त प्रकरण में इस प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 एवं 7 ... पक्षकार थे। उक्त निर्णय की कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में विचाराधीन न... होने से माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री अंतिम ... चुके है एवं उक्त निर्णय एवं डिक्री इस न्यायालय पर बाध्यकारी है। इस कारण अ... इस प्रकरण में इसी [illegible] द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रतिवा... संख्या 1 के वारिसों के पक्ष में डिक्री [illegible] आवश्यक है।

10. विद्वान अधिवक्ता वादी [illegible] पक्ष की [illegible] दौरान मौखिक बहस में निवेदन कि... कि वसीयत अकेले भंवरलाल [illegible] भंवरलाल के मात्र बड़े लड़के... होने के आधार पर उसका नाम वसीयत [illegible] लिख दिया गया है। इस कारण काउन्टर... क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:28:12 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, पत्रावली का ध्यान अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त द्वारा दर्शन प्राप्त किया।

ने पाया की इस प्रकरण मे मुख्य विवाद यही है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 नाना श्री नारायण जी द्वारा जो रजिस्टर्ड वसीयत की गयी है, वह केवल मात्र वरलाल के पक्ष में है अथवा भंवरलाल के अतिरिक्त भाना एव गणेशीबाई के पक्ष में भी है जहां तक रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 27.01.1954 का प्रश्न है तो वसीयत होना तो दोनो ही पक्षकार स्वीकार कर रहें है किन्तु मात्र विवाद का बिन्दु यही है कि यह वसीयत किसके पक्ष में है। इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जितेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य (2021) 4 CivCC 29 (SC) से हमें यह मार्ग दर्शन प्राप्त होता है कि किसी भी वसीयत के बारे में स्वामित्व बाबत कोई भी विनिश्चयन करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके विपरीत वादीपक्ष की ओर से ऐसी कोई दलील नहीं दी गयी है, न ही कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह विदित हो कि वसीयत के बारे में स्वामित्व बाबत कोई भी राय देने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त हो। इस कारण मे अब किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत नही होने से तनकी संख्या 4 का निर्णय इसी स्तर पर किया जाना उचित है चूंकि माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश उदयपुर का निर्णय दिनांक 5.1.2024 वसीयत के बारे में स्वामित्व बाबत दी गयी राय के सन्दर्भ मे इस न्यायालय पर बाध्यकारी है। इस कारण तनकी संख्या 1 को वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 1 एवं 4 का निर्णय उपरोक्तानुसार होने के आधार पर तनकी संख्या 2 के निर्णय की आवश्यकता नही है। तनकी संख्या 3 व 5 भी एक दूसरे की पूरक तनकीयात होने से तनकी संख्या 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 5 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जाता है। अतः वादी का वाद अस्वीकार एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर (हाल तहसील भीण्डर) में वर्णित आराजी संख्या 4831–4832 किता 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 को हिस्सा बराबर से खातेदार

काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में अब तक के इन्द्राज क
उपरोक्त आराजी से बने नये नम्बरों को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पक्ष
बराबर से अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है तथा आदेश दिया
कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर (हाल तहसील भीण्ड
उदयपुर राज. में आराजी संख्या 4831–4832 किता 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा
प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल नहीं करे, शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने दे
पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकद्ध में इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 51/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/767

अनवान

1. श्री चतरभूज पिता भाना कूम्हार निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............वादी

बनाम्

1. श्री भंवरलाल पिता भाना के वजाय

1/1 श्री नवलचंद पिता भंवरलाल कूम्हार निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/2 श्री जगदीश पिता भंवरलाल निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/3 श्रीमती मांगी बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि बाबूलाल कूम्हार निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

1/4 श्रीमती नारायणी बाई बेवा भंवरलाल कूम्हार निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2. श्री हरिराम पिता भाना कुम्हार निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर हाल निवासी मकान न. 1959 न्यू रामपुरा सिसारमा रोड उदयपुर जिला उदयपुर राज.।

3. श्रीमती नारायणी बाई पुत्री भाना पत्नि मांगीलाल कुम्हार निवासी दूस डांगीयान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

4. श्री प्रतापी बाई पुत्री भाना पत्नि कूम्हार निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

5. श्रीमती नक्षत्री बाई पुत्री भाना पत्नि धनराज कूम्हार निवासी आम्बावेरी (डबोक) तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।

6. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

7. श्री विजासर माता सेवा समिति भीण्डर जरिये अध्यक्ष गोकल व्यास पिता कालू खटीक निवासी भीण्डर।

............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:28:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 51/21 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसा लकतई रुबरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS वमुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–परिणामस्व[illegible] का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अर्न्त[illegible] खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद स्वीकार कि[illegible] है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर (हाल तहसील भी[illegible] वर्णित आराजी संख्या 4831–4832 किता 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी 1/1 से 1/4 को हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। [illegible] अभिलेखों में अब तक के इन्द्राज को हटाकर उपरोक्त आराजी से बने नये नम्ब[illegible] प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पक्ष में हिस्सा बराबर से अंकन किये जाने का आदेश [illegible] किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तह[illegible] वल्लभनगर (हाल तहसील भीण्डर) जिला उदयपुर राज. में आराजी संख्या 4831–4832 कि[illegible] 1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल नहीं करे, शान्ति पू[illegible] उपयोग–उपभोग करने देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:12 IST
Reason: SelfAttested